न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 140/2022

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

मनजीत कौर पत्नी स्व. श्री सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नं. 715, गली नं. 13, शहीद भगत सिंह नगर, मलोट तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब(पंजाब)

– वादीया

बनाम्

1. रविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नं. 715, गली नं. 13, शहीद भगत सिंह नगर, मलोट तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब(पंजाब)
2. रूपिन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री सुरजीत सिंह पत्नी श्री अमनप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक रूलदूसिंह वाला तहसील व जिला बठिण्डा(पंजाब)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 13.8.2022

वादीया मनजीत कौर ने प्रतिवादीगण रविन्द्र सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादीया के पति एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता स्व. श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 24 ए.एम.पी. के खाता सं. 85/75 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.523 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया के पति एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता स्व. श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह के नाम से कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं जिसमें वादीया का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 [illegible] अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय [illegible] करने के कारण वादीया व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य [illegible] हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीया व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक का परित्याग मौखिक रूप से वादीया के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:10:02 IST
Reason: SelfAttested

लगातार --2

13/8
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादीया को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:-

(अ) **वादी मनजीत कौर पत्नी स्व. श्री सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नं. 715, गली नं. 13, शहीद भगत सिंह नगर, मलोट तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब(पंजाब) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

तहसील संगरिया के चक 24 ए.एम.पी. के खाता सं. 85/75 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.523 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीया का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीया खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने की अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीया का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीया खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादीया के द्वारा तहसील संगरिया के चक 24 ए.एम.पी. के खाता सं. 85/75 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादीया में वादीया का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीया के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीया एवं वकील प्रति[illegible] ने सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जा[illegible] दी। वकील वादीया ने वाद डिक्री किये जाने [illegible] निवेदन किया। [illegible] वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीया के पति एवं प्रति[illegible] सं. 1 व 2 के पिता स्व. श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह के नाम से तहसील

लगातार --3

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh De
Date: 2022.11.23 14:10:02 IST
Reason: SelfAttested

13/8
सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

संगरिया के चक 24 ए.एम.पी. के खाता सं. 85/75 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.523 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीया व प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादीया मुताबिक वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा वादीया के पति एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता स्व. श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 24 ए.एम.पी. के खाता सं. 85/75 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.523 है. कृषि भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्तानुसार वादीया के पति एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता स्व. श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/08/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/8/22

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

स[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Dev

Date: 2022.11.23 14:10:02 IST

Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 140/2022

मनजीत कौर पत्नी स्व. श्री सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नं. 715, गली नं. 13, शहीद भगत सिंह नगर, मलोट तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब(पंजाब)

– वादीया

बनाम्

1. रविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नं. 715, गली नं. 13, शहीद भगत सिंह नगर, मलोट तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब(पंजाब)
2. रूपिन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री सुरजीत सिंह पत्नी श्री अमनप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक रूलदूसिंह वाला तहसील व जिला बठिण्डा(पंजाब)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 13.8.2022

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि मुताबिक बंटवारा वादीया के पति एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता स्व. श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 24 ए.एम.पी. के खाता सं. 85/75 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.523 है. कृषि भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्तानुसार वादीया के पति एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता स्व. श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X...... निल ....X...... मुब्लिक ....X..........निल ....X...... बाबत् ....X...... निल.....X....... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X..........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक ...13.8.2022... को जारी किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:10:02 IST
Reason: Self Attested

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया